29/4/21 [illegible]

पीठासीन अधिकारी की मीटिंग में/भ्रमण/
स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए
हैं। पत्रावली उपस्थापन दिनांक 15/7/21
को प्रस्तुत हो।

18/6/21

पत्रावली मेरे समक्ष वकील आयोग ने यह
पेश कर पत्रावली अन्तर्गत धारा 9 पर लेने
का निवेदन किया। वकील आयोग के निवेदन
पर अन्तर पत्रावली धारा 9 पर ली जाकर वकील
आयोग के निवेदन किया जाने में उक्त प्रकरण
के वादग्रस्त स्थान का मौकाई नक्शा
के अनुसार इस प्रकरण को मौके की स्थिति
को यथा यथा कर पेश करने की अनुमति
के साथ इस बार प्रति विपक्ष खारिज किया
जाये।

अतः वकील आयोग के निवेदन पर
उक्त यह हो कर की जाती है यथा गठित कर
प्रति विपक्ष खारिज की जाती है पत्रावली
नियम अनुसार बिन्दु वार लाया जाने का
आदेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO), [illegible]